**164 सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में पांचवें दौर की मजदूरी संबंधी बातचीत के लिए मजदूरी नीति।**

मजदूरी समझौते के पांचवे दौर के लिए मजदूरी के संबंध में बातचीत पर सार्वजनिक उद्यम विभाग के तारीख 17 अक्टूबर, 1991 के अ.शा.सं. 2(3)/91–डी पी ई (डब्ल्यू.सी.) द्वारा रोक लगा दी गई थी। अब सरकार ने मजदूरी संबंधी बातचीत के पांचवे दौर के लिए रोक को हटाने का निर्णय किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन, श्रमिक संघों/एसोसिएशनों के साथ मजदूरी के संबंध में अपनी बातचीत शुरू कर सकते हैं।

2. नई मजदूरी नीति के अंतर्गत प्रबंधन किसी उद्यम/इकाई द्वारा संसाधनों/लाभों के उत्पादन के अनुरूप तथा इसे ध्यान में रखते हुए मजदूरी के ढाँचे पर बातचीत करने के लिए स्वतंत्र है। सरकार मजदूरी में वृद्धि के लिए कोई बजटीय सहायता नहीं देगी और संबंधित प्रबंधनों को अपेक्षित संसाधनों को अपने आंतरिक उत्पादन के भीतर ही तलाशना होगा। कुछेक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए जो एकाधिकारी हैं या लगभग एकाधिकारी हैं या जिनका आंकलित मूल्य ढांचा है यह सुनिश्चित किया जाए कि बातचीत के बाद मजदूरी में वृद्धि के परिणामस्वरूप उनकी वस्तुओं और सेवाओं के आंकलित मूल्यों में स्वतः वृद्धि न हो।

3. यह भी निर्णय किया गया है कि मजदूरी समझौते की अवधि 5 वर्ष होगी और संशोधन इस शर्त के अन्तर्गत होंगे कि श्रमिक लागत प्रति इकाई उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी।

4. आई.डी.ए. योजना जारी रहेगी और आई डी ए योजना के अंतर्गत निष्प्रभावीकरण की मौजूदा दर भावी समझौतों के लिए एक घटक का निर्माण करेगी।

5. मजदूरी समझौतों पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार बातचीत की जानी चाहिए। प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विभाग को सूचित करते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उपर्युक्त विषय पर उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

**(12 अप्रैल 1993 का का.ज्ञा. सं. (13)/86 डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.)**

**(समान विषय पर उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन को स्पष्ट करने वाले दिशानिर्देशों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है)**

**तारीख 17 जनवरी, 1994 की सं. 1(3)/86 डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.)**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के तारीख 12.4.93 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का हवाला देने और नई मजदूरी नीति के अंतर्गत उन मानदण्डों को इंगित करने का निदेश हुआ है जिनके आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन श्रमिक संघों के साथ मजदूरी के संबंध में बातचीत शुरू कर सकते हैं। उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3 में यह उल्लेख किया गया था कि संशोधन इस शर्त के अन्तर्गत होंगे कि श्रमिक लागत प्रति इकाई उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। इस अवधारणा के संबंध में कुछ भ्रांति थी और लोक उद्यम विभाग को इस संबंध में अभिवेदन प्राप्त हुए थे। मौजूदा भ्रांति से बचने के लिए आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रति इकाई श्रमिक लागत भौतिक इकाई की ओर संकेत करती है न कि वित्तीय अर्थ में इकाई की ओर।

2. सरकारी उद्यम विभाग को ऐसे भी अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं जिनमें यह पूछा जा रहा है कि क्या तारीख 12.4.93 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन

द्वारा उनके श्रमिक संघ के साथ निष्पन्न हुए मजदूरी समझौतों की सूचना प्रशासनिक मंत्रालयों/सरकारी उद्यम विभाग को दी जानी है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को इस संबंध में पूर्ण स्वायत्तता दी गई है कि वे श्रमिक संघ के साथ दीर्घकालिक मजदूरी समझौतों का उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित मानदण्डों के अनुसार निष्पादन कर सकें और ऐसे समझौतों के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के अनुमोदन या लोक उद्यम विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं।

3. यदि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को तारीख 12.4.93 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित मानदण्डों तथा उक्त पैरा 1 द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के अनुसार मजदूरी संबंधी बातचीत करने में विशेष कठिनाइयां पेश आ रही हों तो विशेष समाधान के लिए मामले की जांच की जा सकती है। ऐसा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा लोक उद्यम विभाग के परामर्श से मामला दर मामला आधार पर किया जाए। बहरहाल ऐसी घटनाएं कम होने की आशा है।

4. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस विभाग को सूचित करते हुए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उन स्पष्टीकरणों के अनुसार अनुदेश जारी करें।

**(12 अप्रैल 1993 का का.ज्ञा. सं. (13)/86 डी.पी.ई. (डब्ल्यू.सी.)**